रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052021-227220 CG-DL-E-28052021-227220

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1923] No. 1923] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISHTHA 7, 1943

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2068(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जून 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध तिमलनाडु राज्य के इरोड जिले में सम्पूर्ण क्षेत्र के पहले से कार्यान्वित किए जा रहे उक्त जिले के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रवृत होंगे, अर्थात्:-

- (i) अध्याय IV (धारा 44 और धारा 45 के सिवाय) तथा
- (ii) अध्याय V और V I [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, धारा 78, धारा 79 और धारा 81 के सिवाय]

[फा. सं. एस-38013/02/2021-एस.एस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

2870 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

- **S.O.** 2068(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of June, 2021 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force in the entire area of Erode District in the State of Tamil Nadu, in addition to the already implemented area in the said District, namely:—
- (i) Chapter IV (except sections 44 and 45); and
- (ii) Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81.]

[F. No. S-38013/02/2021-SS.-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.